



उत्तराखण्ड शासन

सड़क सुरक्षा एक परिदृश्य

2020-2021



परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड

सड़क सुरक्षा : एक परिदृश्य 2020-2021



उत्तराखण्ड शासन



परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड
कार्यालय परिवहन आयुक्त, कुल्हान सहस्रधारा रोड, देहरादून
web site: transport.uk.gov.in



उत्तराखण्ड शासन

विषय सूची

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ
1.	प्रस्तावना	
2.	भारत एवं उत्तराखण्ड में विगत 10 वर्षों में घटित सड़क दुर्घटनाओं का तुलनात्मक विवरण	
3.	राज्य में वर्ष 2020 एवं 2021 में घटित दुर्घटनाओं का विश्लेषण	
4.	जनपदवार वाहनों की संख्या एवं जनसंख्या	
5.	राज्य में सड़कों की स्थिति, ब्लैक स्पॉट आदि	
6.	दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु उठाये गये कदम	
7.	भविष्य की योजनाएं	



प्रसन्नता का विषय है कि परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा “सड़क सुरक्षा : एक परिदृश्य 2020-2021” नामक पुस्तक का प्रकाशन किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा एक सामाजिक कार्य होने के साथ-साथ मानव जीवन से जुड़ा पहलू है, जिसकी अनदेखी अमूल्य जीवन पर भारी पड़ सकती है। सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने हेतु सड़क पर वाहन चलाते समय नियमों का पालन करना आवश्यक है।

“सड़क सुरक्षा एक परिदृश्य 2020-2021” पुस्तिका जनसामान्य को सड़क दुर्घटनाओं के प्रति संवेदनशील करते हुये आकड़ों के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं का विवरण प्रस्तुत करने में सहयोगी होगी। इन सड़क दुर्घटनाओं को न्यून करने हेतु विभिन्न सहयोगी विभाग तथा जनसमूह के समेकित प्रयासों द्वारा दुर्घटनाओं को नियंत्रित किया जा सकता है। आशा है कि परिवहन विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तक जनसामान्य के मध्य सड़क सुरक्षा जागरूकता के प्रचार प्रसार में उपयोगी सिद्ध होगी।

हार्दिक शुभकामनाएं

चन्दन राम दास

समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण,
परिवहन, लघु एवं सूक्ष्म मध्यम उद्यम,
खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री, उत्तराखण्ड



संदेश

उत्तराखण्ड राज्य की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत, राज्य में सड़क परिवहन ही यातायात का मुख्य साधन है। अधिकतर मार्ग सर्पिले और घुमावदार होने के कारण वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता होती है। जनसामान्य का यह दायित्व है कि वह सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें तथा जहां तक सम्भव हो अपने आस-पास के व्यक्तियों को भी सड़क सुरक्षा नियमों एवं उपायों हेतु प्रेरित करें।

राज्य में वर्ष 2020 में कुल 1041 सड़क दुर्घटनायें हुयी, जिसमें 674 व्यक्तियों की मृत्यु और 854 व्यक्ति घायल हुए हैं। इसी प्रकार वर्ष 2021 में 1405 सड़क दुर्घटनाओं में 820 व्यक्तियों की मृत्यु एवं 1091 व्यक्ति घायल हुए। दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु परिवहन विभाग द्वारा विभिन्न कदम उठाये जा रहे हैं। “सड़क सुरक्षा: एक परिदृश्य 2020-21” आम जन के मध्य सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के साथ-साथ विभिन्न हितधारक विभागों द्वारा किये जा रहे प्रयासों से भी अवगत करायेगी।

मैं आशा करता हूँ कि यह पुस्तिका राज्य में घटित हो रही सड़क दुर्घटनाओं के कारणों का विश्लेषण कर सड़क सुरक्षा जागरूकता विकसित करने में सफल होगी।

अरविन्द सिंह ह्याँकी
सचिव एवं आयुक्त, परिवहन विभाग
उत्तराखण्ड



उत्तराखण्ड शासन



सम्पादकीय.....



सड़क दुर्घटनाओं में जनहानि होना अत्यन्त दुःखद विषय है। उत्तराखण्ड राज्य का अधिकांश भाग पर्वतीय होने के फलस्वरूप किसी दुर्घटना होने की स्थिति में जनहानि भी मैदानी मार्गों की तुलना में अधिक होती है।

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति (Supreme Court Committee on Road Safety) द्वारा विभिन्न राज्यों में सड़क सुरक्षा के उपायों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में सतत दृष्टि रखी जाती है और समय-समय पर सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में निर्देश प्रदान किये जाते हैं। समिति द्वारा दिये गये निर्देशानुसार ही राज्य में परिवहन विभाग के अन्तर्गत 'लीड एजेन्सी' का गठन किया गया, जिसमें परिवहन विभाग के अतिरिक्त पुलिस, शिक्षा, चिकित्सा एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारी कार्यरत हैं। राज्य स्तर पर दुर्घटना की रोकथाम हेतु मा0 परिवहन मंत्री जी की अध्यक्षता में 'राज्य सड़क सुरक्षा परिषद' गठित की गयी है, जबकि उच्च स्तरीय अनुश्रवण हेतु मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में 'अनुश्रवण समिति' का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त जनपदों में सड़क सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के क्रियान्वयन हेतु जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में 'जिला सड़क सुरक्षा समिति' का गठन किया गया है।

राज्य सरकार दुर्घटनाओं में कमी लाये जाने हेतु सतत प्रयत्नशील है। राज्य में वर्ष 2020 में 1041 तथा वर्ष 2021 में 1405 सड़क दुर्घटनायें विभिन्न कारणों से घटित हुईं जिनकी रोकथाम हेतु विभाग द्वारा निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। "सड़क सुरक्षा परिदृश्य 2020-2021" उत्तराखण्ड राज्य में सड़क दुर्घटनाओं एवं सड़क सुरक्षा सम्बन्धी संकलित आकड़ों को आम जन मानस के समक्ष प्रस्तुत करने का कार्य करेगी। इस पुस्तक में देश एवं प्रदेश में घटित सड़क दुर्घटनाओं का विवरण, वाहन की श्रेणी, मार्ग की श्रेणी, दुर्घटना का समय, वाहन की आयु सीमा, चालक की आयु, वाहन के टक्कर का

प्रकार आदि के आधार पर सूचनाओं का संकलन किया गया है।

इसके अतिरिक्त पुस्तक में लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों की दशा सुधारने यथा-ब्लैक स्पॉट, दुर्घटना संभावित स्थलों में सुधारीकरण की कार्यवाही के अतिरिक्त क्रैश बैरियर, रोड मार्किंग, ट्रैफिक कामिंग उपाय आदि के क्रियान्वयन की भी जानकारी उपलब्ध करायी गयी है।

प्रस्तुत पुस्तिका सड़क दुर्घटनाओं का तुलनात्मक विश्लेषण कर आम जनमानस में सड़क दुर्घटनाओं के प्रति संवेदनशीलता एवं जागरूकता उत्पन्न करने में सहयोगी होगी।

सनत कुमार सिंह,
संयुक्त परिवहन आयुक्त/
अध्यक्ष, लीड एजेन्सी



सड़क सुरक्षा शपथ

हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे तथा दो पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेल्मेट पहनेंगे।



कभी भी शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाएंगे।

कार चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट पहनेंगे।



वाहन चलाते समय कभी भी मोबाइल फोन पर बात नहीं करेंगे तथा न कोई मैसेज भेजेंगे न देखेंगे।

हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे तथा अपने परिजनों से पालन करायेंगे।



सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने हेतु सदैव तत्पर रहेंगे।

जय हिन्द, जय भारत।

भारत एवं उत्तराखण्ड में विगत 10 वर्षों में घटित सड़क दुर्घटनाओं का तुलनात्मक विवरण

1. भारत में विगत 10 वर्षों में घटित सड़क दुर्घटनाएं, मृतक एवं घायलों का विवरण :-

देश के विभिन्न राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों में वर्ष 2020 में कुल 3,66,138 वाहन दुर्घटनाएं हुई हैं। जिनमें 1,31,714 व्यक्तियों की मृत्यु तथा 3,48,279 व्यक्ति घायल हुये हैं। इस प्रकार वर्ष 2020 में 2019 की तुलना में दुर्घटनाओं की संख्या में 18.5 प्रतिशत, मृतकों की संख्या में 12.8 प्रतिशत तथा घायलों की संख्या में 22.8 प्रतिशत की कमी आयी है।


उपरोक्त आकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि देश में प्रतिदिन 1003 वाहन दुर्घटनाओं में लगभग 360 व्यक्तियों की मृत्यु हो रही है।

वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या	मृतकों की संख्या	घायलों की संख्या	दुर्घटना की गम्भीरता*
2011	4,97,686	1,42,485	5,11,394	28.6
2012	4,90,383	1,38,258	5,09,667	28.2
2013	4,86,476	1,37,572	4,94,893	28.3
2014	4,89,400	1,39,671	4,93,474	28.5
2015	5,01,423	1,46,133	5,00,279	29.1
2016	4,80,652	1,50,785	4,94,624	31.4
2017	4,64,910	1,47,913	4,70,975	31.8
2018	4,67,044	1,51,417	4,69,418	32.42
2019	4,49,002	1,51,113	4,51,361	33.7
2020	3,66,138	1,31,714	3,48,279	35.97

*गम्भीरता से आशय प्रत्येक 100 दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या से है।

(स्रोत- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

भारत में विगत 10 वर्ष में घटित सड़क दुर्घटनाओं, मृतक एवं घायलों का विवरण



2. उत्तराखण्ड राज्य में विगत 10 वर्षों में घटित सड़क दुर्घटनाएं, मृतक एवं घायलों का विवरण:-


राज्य में वर्ष 2021 में कुल 1405 सड़क दुर्घटनाएं घटित हुई हैं। जिनमें 820 व्यक्तियों की मृत्यु तथा 1091 व्यक्ति घायल हुए हैं। इस प्रकार वर्ष 2021 में वर्ष 2020 की तुलना में दुर्घटनाओं की संख्या में 34.97 प्रतिशत, मृतकों की संख्या में 21.66 प्रतिशत तथा घायलों की संख्या में 27.75 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

उपरोक्त आकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि वर्ष 2021 में राज्य में प्रतिदिन 3.84 वाहन दुर्घटनाओं में लगभग 2.24 व्यक्तियों की मृत्यु हो रही है।

वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या	मृतकों की संख्या	घायलों की संख्या	दुर्घटना की गम्भीरता*
2012	1472	844	1577	57.3
2013	1297	766	1503	59.05
2014	1410	878	1531	62.26
2015	1523	913	1657	59.94
2016	1591	962	1735	60.46
2017	1603	942	1631	58.08
2018	1468	1047	1571	71.30
2019	1352	867	1457	64.12
2020	1041	674	854	64.74
2021	1405	820	1091	58.36

*गम्भीरता से आशय प्रत्येक 100 दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या से है।

उत्तराखण्ड राज्य में विगत 10 वर्षों में घटित सड़क दुर्घटनाओं, मृतकों एवं घायलों का विवरण




राज्य में वर्ष 2019, 2020 एवं 2021 में घटित दुर्घटनाओं का विश्लेषण

1. राज्य में वर्ष 2019, 2020 एवं 2021 में जनपदवार घटित सड़क दुर्घटनाओं, मृतकों एवं घायलों का विवरण :-


राज्य में वर्ष 2021 में जनपद उधमसिंह नगर में सर्वाधिक 361 दुर्घटनाएं घटित हुई हैं। जबकि सबसे कम 04 दुर्घटनाएं जनपद चमोली में घटित हुई हैं।

जनपद	दुर्घटनाओं की संख्या			मृतकों की संख्या			घायलों की संख्या		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
चम्पावत	20	05	11	19	02	4	41	08	14
देहरादून	328	246	365	168	115	165	288	196	247
बागेश्वर	05	04	9	04	02	8	07	02	18
पिथौरागढ़	10	12	12	07	05	6	07	23	11
नैनीताल	197	147	177	101	72	80	170	135	141
रुद्रप्रयाग	19	10	9	17	12	8	43	09	9
चमोली	27	19	4	26	10	7	87	17	1
उत्तरकाशी	23	17	17	18	33	20	43	22	19
अल्मोड़ा	08	03	21	04	02	13	14	04	41
टिहरी	46	44	32	81	61	40	97	55	29
उधमसिंहनगर	327	271	361	206	188	230	282	162	235
हरिद्वार	300	229	354	184	153	220	251	159	292
पौड़ी	42	34	33	32	19	19	127	62	34
योग	1352	1041	1405	867	674	820	1457	854	1091


राज्य में वर्ष 2019, 2020 एवं 2021 में जनपदवार घटित सड़क दुर्घटनाओं का विवरण



राज्य में वर्ष 2019, 2020 एवं 2021 में जनपदवार मृतकों का विवरण




राज्य में वर्ष 2020 एवं 2021 में जनपदवार घायलों का विवरण



2. वर्ष 2020 में राज्य में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के आधार पर घटित सड़क दुर्घटनाओं, मृतकों एवं घायलों का विवरण :-

राज्य में वर्ष 2020 में 1041 सड़क दुर्घटनाएं घटित हुई हैं। जिसमें 674 व्यक्तियों की मृत्यु तथा 854 व्यक्ति घायल हुए हैं। जिसमें 558 दुर्घटनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में घटित हुई हैं। जिसमें 410 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की तुलना में दुर्घटना, मृतक एवं घायलों की संख्या में क्रमशः 7.20 प्रतिशत, 20.14 प्रतिशत तथा 21.66 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

क्षेत्र का प्रकार	दुर्घटना	मृतक	घायल
शहरी क्षेत्र	483	264	341
ग्रामीण क्षेत्र	558	410	513
योग	1041	674	854



3. वर्ष 2021 में राज्य में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के आधार पर घटित सड़क दुर्घटनाओं, मृतकों एवं घायलों का विवरण :-

राज्य में वर्ष 2021 में 1405 सड़क दुर्घटनाएं घटित हुई हैं। जिसमें 820 व्यक्तियों की मृत्यु तथा 1091 व्यक्ति घायल हुए हैं। जिसमें 732 दुर्घटनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में घटित हुई हैं। जिसमें 496 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की तुलना में दुर्घटना, मृतक, एवं घायलों की संख्या में क्रमशः 4.19 प्रतिशत, 20.97 प्रतिशत तथा 11.64 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

क्षेत्र का प्रकार	दुर्घटना	मृतक	घायल
शहरी क्षेत्र	673	324	482
ग्रामीण क्षेत्र	732	496	609
योग	1405	820	1091



3. वर्ष 2020 एवं 2021 में राज्य में घटित सड़क दुर्घटनाओं का समयवार विवरण :-

राज्य में वर्ष 2020, 2021 में समय 18:00 बजे से 21:00 बजे तक सर्वाधिक दुर्घटनाएं घटित हुई हैं। जिसमें सर्वाधिक व्यक्तियों की मृत्यु हुई है।


समय	दुर्घटनाओं की संख्या		मृतकों की संख्या		घायलों की संख्या	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
06:00 से 9:00 बजे (दिन)	84	119	47	78	66	82
09:00 से 12:00 बजे (दिन)	124	193	75	89	128	153
12:00 से 15:00 बजे (दिन)	185	179	116	94	172	172
15:00 से 18:00 बजे (दिन)	188	225	132	128	157	200
18:00 से 21:00 बजे (रात)	198	271	136	167	146	181
21:00 से 24:00 बजे (रात)	119	164	77	108	91	114
00:00 से 03:00 बजे (रात)	20	60	17	36	18	56
03:00 से 06:00 बजे (रात)	35	59	24	42	25	34
अज्ञात समय	88	135	50	78	51	99
योग-	1041	1405	674	820	854	1091

4. वर्ष 2020 में राज्य में घटित सड़क दुर्घटनाओं का वाहनों की श्रेणी के आधार पर विवरण :-


राज्य में वर्ष 2020 में कुल 1041 सड़क दुर्घटनाएं घटित हुई हैं। जिसमें में 524 (50.33 प्रतिशत) दुर्घटनाएं दुपहियां वाहनों से घटित हुई हैं। जिसमें 338 (50.14 प्रतिशत) व्यक्तियों की मृत्यु तथा 384 (44.96 प्रतिशत) व्यक्ति घायल हुये हैं।

वाहन का प्रकार	दुर्घटना	मृतक	घायल
A-मोटरचालित यान			
दुपहियां वाहन	524	338	384
ऑटो रिक्शा	15	6	12
कार/जीप/वैन/टैक्सी	56	13	76
बस	3	0	29
ट्रक/भारी भार वाहन(एच0जी0वी0)	19	8	13
योग	617	365	514
B-गैर मोटर चालित वाहन			
ई-रिक्शा	8	4	8
साईकिल	43	33	15
साईकिल रिक्शा	—	—	—
योग	51	37	23
C-अन्य यान			
पैदल यात्री	261	147	153
अन्य	112	125	164
योग	373	272	317
महायोग-(A+B+C)	1041	674	854

वाहनों की श्रेणी (मोटरचालित यान) के आधार पर दुर्घटनाओं, मृतको एवं घायलों का विवरण



वाहनों की श्रेणी (गैर मोटरचालित यान) के आधार पर दुर्घटनाओं, मृतको एवं घायलों का विवरण




4.1 वर्ष 2021 में राज्य में घटित सड़क दुर्घटनाओं का वाहनों की श्रेणी के आधार पर विवरण :-


राज्य में वर्ष 2021 में कुल 1405 सड़क दुर्घटनाएं घटित हुई हैं। जिसमें 710 (50.53 प्रतिशत) दुर्घटनाएं दुपहिया वाहनों से घटित हुई हैं। जिसमें 436 (53.17 प्रतिशत) व्यक्तियों की मृत्यु तथा 506 (46.37 प्रतिशत) व्यक्ति घायल हुये हैं।

वाहन का प्रकार	दुर्घटनाओं की संख्या	मृतक	घायल
A- मोटरचालित यान			
दुपहियाँ वाहन	710	436	506
ऑटो रिक्शा	18	13	29
कार / जीप / वैन / टैक्सी	149	73	184
बस	5	1	19
ट्रक / भारी भार वाहन (एच0जी0वी0)	32	32	21
योग	914	555	759
B- गैर मोटर चालित वाहन			
ई-रिक्शा	11	7	6
साइकिल	43	21	26
साइकिल रिक्शा	0	0	0
योग	54	28	32
C- अन्य यान			
पैदल यात्री	386	194	230
अन्य	51	43	70
योग	437	237	300
महायोग-(A+B+C)	1405	820	1091

वाहनों की श्रेणी (मोटरचालित यान) के आधार पर दुर्घटनाओं, मृतकों एवं घायलों का विवरण



वाहनों की श्रेणी (गैर मोटरचालित यान) के आधार पर दुर्घटनाओं, मृतकों एवं घायलों का विवरण




5. वर्ष 2020 में वाहनों की आयु के आधार पर दुर्घटनाओं, मृतकों एवं घायलों का विवरण :-

राज्य में वर्ष 2020 में सर्वाधिक 333 दुर्घटनाएं 05 वर्ष से कम आयु के वाहनों से घटित हुई हैं। जिसमें 192 व्यक्तियों की मृत्यु तथा 313 व्यक्ति घायल हुए हैं।

वाहन की आयु	दुर्घटनाओं की संख्या	मृतक	घायल
05 वर्ष से कम	333	192	313
05 से 10 वर्ष	264	181	215
10 से 15 वर्ष	148	105	116
15 वर्ष से अधिक	131	102	92
आयु ज्ञात नहीं	165	94	118
योग-	1041	674	854

वाहनों की आयु के आधार पर दुर्घटनाओं, मृतकों एवं घायलों का विवरण




5.1 वर्ष 2021 में वाहनों की आयु के आधार पर दुर्घटनाओं, मृतको एवं घायलों का विवरण :-

राज्य में वर्ष 2021 में सर्वाधिक 383 दुर्घटनाएं 15 वर्ष से अधिक आयु के वाहनों से घटित हुई है। जिसमें 260 व्यक्तियों की मृत्यु तथा 259 व्यक्ति घायल हुए है।

वाहन की आयु	दुर्घटनाओं की संख्या	मृतक	घायल
05 वर्ष से कम	322	160	307
05 से 10 वर्ष	311	189	238
10 से 15 वर्ष	153	69	143
15 वर्ष से अधिक	383	260	259
आयु ज्ञात नहीं	236	142	144
योग-	1405	820	1091

वाहनों की आयु के आधार पर दुर्घटनाओं, मृतको एवं घायलों का विवरण




6. वर्ष 2020 में राज्य में घटित सड़क दुर्घटनाओं का पीड़ितों का आयु एवं लिंगवार विवरण :-


राज्य में वर्ष 2020 में 592 पुरुषों की मृत्यु हुई है तथा 719 पुरुष घायल हुये है। जो कुल मृतकों एवं घायलों का क्रमशः 87.83 प्रतिशत एवं 81.19 प्रतिशत है। मृतक 592 पुरुषों में से 450 पुरुष 18 से 45 वर्ष की आयु के है। उपरोक्त आकड़ों से यह ज्ञात होता है कि दुर्घटनाओं में मारे जाने वाले सर्वाधिक व्यक्ति 18 से 45 आयु वर्ग के हैं जो कि समाज का एक प्रमुख उत्पादक आयु वर्ग है।

व्यक्ति आयु वर्ग	मृतक		घायल	
	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष
18 वर्ष से कम आयु	05	23	24	36
18 से 25 वर्ष	13	125	26	152
25 से 35 वर्ष	29	199	33	241
35 से 45 वर्ष	16	126	25	163
45 से 60 वर्ष	12	78	20	91
60 वर्ष से अधिक	07	34	06	30
आयु अज्ञात	00	07	01	06
योग—	82	592	135	719

सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों (मृतक) का आयु एवं लिंगवार विवरण



सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों (घायल) का आयु एवं लिंगवार विवरण




6.1 वर्ष 2021 में राज्य में घटित सड़क दुर्घटनाओं का पीड़ितों का आयु एवं लिंगवार विवरण :-


राज्य में वर्ष 2021 में 722 पुरुषों की मृत्यु हुई है तथा 892 पुरुष घायल हुए हैं। जो कुल मृतकों एवं घायलों का क्रमशः 88.04 प्रतिशत एवं 81.75 प्रतिशत है। मृतक 722 पुरुषों में से 533 पुरुष 18 से 45 वर्ष की आयु वर्ग के हैं।

व्यक्ति आयु वर्ग	मृतक		घायल	
	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष
18 वर्ष से कम आयु	9	27	20	55
18 से 25 वर्ष	25	151	36	172
25 से 35 वर्ष	26	232	45	252
35 से 45 वर्ष	12	150	47	198
45 से 60 वर्ष	13	120	33	116
60 वर्ष से अधिक	13	40	12	44
आयु अज्ञात	0	2	06	55
योग-	98	722	199	892

सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों (मृतक) का आयु एवं लिंगवार विवरण




सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों (घायल) का आयु एवं लिंगवार विवरण



7. वर्ष 2020 में वाहनों के संघट्टन (टक्कर) के प्रकार के आधार पर दुर्घटनाओं, मृतकों एवं घायलों का विवरण :-

राज्य में वर्ष 2020 में वाहनों में आमने-सामने टक्कर से सर्वाधिक 269 दुर्घटनाएं घटित हुई हैं। जिसमें 164 व्यक्तियों की मृत्यु तथा 227 व्यक्ति घायल हुए हैं।


टक्कर का प्रकार	दुर्घटना	मृतक	घायल
पीछे से टक्कर	251	150	175
वाहन का सड़क से नीचे उतरना	104	111	154
साईड से टक्कर	195	98	167
हिट एण्ड रन	115	78	54
वाहनों में आमने-सामने टक्कर	269	164	227
वाहन का पलटना	6	7	7
वाहन की किसी स्थिर वस्तु से टक्कर	4	0	0
खड़े वाहन से टक्कर	13	6	14
अन्य	84	60	56
योग	1041	674	854



7.1 वर्ष 2021 में वाहनों के संघट्टन (टक्कर) के प्रकार के आधार पर दुर्घटनाओं, मृतकों एवं घायलों का विवरण :-

राज्य में वर्ष 2021 में वाहनों में आमने-सामने टक्कर से सर्वाधिक 311 दुर्घटनाएं घटित हुई हैं। जिसमें 173 व्यक्तियों की मृत्यु तथा 287 व्यक्ति घायल हुए हैं।

टक्कर का प्रकार	दुर्घटनाओं की संख्या	मृतक	घायल
पीछे से टक्कर	317	183	238
वाहन का सड़क से नीचे उतरना	55	73	62
साईड से टक्कर	471	235	358
हिट एण्ड रन	163	116	69
वाहनों में आमने-सामने टक्कर	311	173	287
वाहन का पलटना	07	06	04
वाहन की किसी स्थिर वस्तु से टक्कर	07	01	02
खड़े वाहन से टक्कर	07	06	01
अन्य	67	27	70
योग	1405	820	1091




8. वर्ष 2020 में मार्ग के प्रकार के आधार पर दुर्घटनाओं, मृतकों एवं घायलों का विवरण :-

राज्य में वर्ष 2020 में सर्वाधिक 524 सड़क दुर्घटनाएं राष्ट्रीय राजमार्गों पर घटित हुई है। जिसमें 365 व्यक्तियों की मृत्यु तथा 402 व्यक्ति घायल हुये है।

मार्ग का प्रकार	दुर्घटनाओं की संख्या	मृतक	घायल
राष्ट्रीय राजमार्ग	524	365	402
राज्य राजमार्ग	220	146	218
अन्य मार्ग	297	163	234
योग	1041	674	854

मार्ग के प्रकार के आधार पर दुर्घटनाओं, मृतकों एवं घायलों का विवरण




8.1 वर्ष 2021 में मार्ग के प्रकार के आधार पर दुर्घटनाओं, मृतकों एवं घायलों का विवरण :-

राज्य में वर्ष 2021 में सर्वाधिक 711 सड़क दुर्घटनाएं राष्ट्रीय राजमार्गों पर घटित हुई हैं। जिसमें 430 व्यक्तियों की मृत्यु तथा 546 व्यक्ति घायल हुए हैं।

मार्ग का प्रकार	दुर्घटनाओं की संख्या	मृतक	घायल
राष्ट्रीय राजमार्ग	711	430	546
राज्य राजमार्ग	294	174	238
अन्य मार्ग	400	216	307
योग	1405	820	1091

मार्ग के प्रकार के आधार पर दुर्घटनाओं, मृतकों एवं घायलों का विवरण




9. वर्ष 2020 में सड़क परिदृश्य के आधार पर दुर्घटनाओं, मृतको एवं घायलों का विवरण :-

राज्य में वर्ष 2020 में सड़क परिदृश्य के आधार पर सर्वाधिक 496 सड़क दुर्घटनाएं खुले क्षेत्रों में घटित हुई है जिसमें 371 व्यक्तियों की मृत्यु तथा 458 व्यक्ति घायल हुए हैं।

दुर्घटना क्षेत्र	दुर्घटनाओं की संख्या	मृतक	घायल
आवासीय क्षेत्र	200	118	135
संस्थागत क्षेत्र	63	26	58
बाजार / व्यवसायिक क्षेत्र	267	150	191
खुला क्षेत्र	496	371	458
अन्य	15	9	12
योग	1041	674	854

सड़क परिदृश्य के आधार पर दुर्घटनाओं, मृतको एवं घायलों का विवरण




9.1 वर्ष 2021 में सड़क परिदृश्य के आधार पर दुर्घटनाओं, मृतको एवं घायलों का विवरण :-

राज्य में वर्ष 2021 में सड़क परिदृश्य के आधार पर सर्वाधिक 707 सड़क दुर्घटनाएं खुले क्षेत्रों में घटित हुई है जिसमें 484 व्यक्तियों की मृत्यु तथा 553 व्यक्ति घायल हुये है।

दुर्घटना क्षेत्र	दुर्घटनाओं की संख्या	मृतक	घायल
आवासीय क्षेत्र	284	130	213
संस्थागत क्षेत्र	35	21	28
बाजार/व्यवसायिक क्षेत्र	361	172	261
खुला क्षेत्र	707	553	533
अन्य	18	13	36
योग	1405	820	1091




सड़क परिदृश्य के आधार पर दुर्घटनाओं, मृतको एवं घायलों का विवरण



10. वर्ष 2020 में सड़क की विशिष्टताओं के आधार पर दुर्घटनाओं, मृतको एवं घायलों का विवरण :-

राज्य में वर्ष 2020 में सड़क की विशिष्टताओं के आधार पर सर्वाधिक 679 सड़क दुर्घटनाएं सीधी सड़कों में घटित हुई है जिसमें 424 व्यक्तियों की मृत्यु तथा 520 व्यक्ति घायल हुये है। उपरोक्त आकड़ों के अनुसार सीधी सड़कों पर सर्वाधिक सड़क दुर्घटनाएं होने का एक मुख्य कारण ओवर स्पीडिंग है।




सड़क की विशिष्टता	दुर्घटनाओं की संख्या	मृतक	घायल
सीधी सड़क	679	424	520
घुमावदार सड़क	307	223	291
पुल	24	14	14
कलबर्ट	5	2	4
पोटहाल्स	4	1	6
तीव्र ढाल वाली सड़क	1	2	0
निर्माणाधीन सड़क	3	3	0
अन्य	18	5	19
योग	1041	674	854



10.1 वर्ष 2021 में सड़क की विशिष्टताओं के आधार पर दुर्घटनाओं, मृतकों एवं घायलों का विवरण :-

राज्य में वर्ष 2021 में सड़क की विशिष्टताओं के आधार पर सर्वाधिक 1041 सड़क दुर्घटनाएं सीधी सड़कों में घटित हुई है जिसमें 609 व्यक्तियों की मृत्यु तथा 781 व्यक्ति घायल हुए हैं। जो वर्ष 2021 में घटित सड़क दुर्घटनाओं का 74.09 प्रतिशत है।



सड़क की विशिष्टता	दुर्घटनाओं की संख्या	मृतक	घायल
सीधी सड़क	1041	609	781
घुमावदार सड़क	316	181	267
पुल	28	16	18
कलबर्ट	0	0	0
पोट हाल्स	0	0	0
तीव्र ढाल वाली सड़क	01	01	01
निर्माणाधीन सड़क	01	0	01
अन्य	18	13	23
योग	1405	820	1091



11. वर्ष 2020 में जंक्शन के आधार पर दुर्घटनाओं, मृतको एवं घायलों का विवरण :-

राज्य में वर्ष 2020 में जंक्शन की स्थिति के आधार पर सर्वाधिक 28 सड़क दुर्घटनाएं चतुर्भुजीय जंक्शनमें घटित हुई है जिसमें 15 व्यक्तियों की मृत्यु तथा 28 व्यक्ति घायल हुए हैं।



जंक्शन का प्रकार	दुर्घटनाओं की संख्या	मृतक	घायल
टी (T) जंक्शन	20	11	10
वाय (Y) जंक्शन	15	10	9
चतुर्भुजीय जंक्शन	28	15	28
अव्यवस्थित जंक्शन	0	0	0
घुमावदार जंक्शन	3	2	1
योग-	66	38	48



11.1 वर्ष 2021 में जंक्शन के आधार पर दुर्घटनाओं, मृतको एवं घायलों का विवरण :-

राज्य में वर्ष 2021 में जंक्शन की स्थिति के आधार पर सर्वाधिक 40 सड़क दुर्घटनाएं चतुर्भुजीय जंक्शनमें घटित हुई है जिसमें 25 व्यक्तियों की मृत्यु तथा 27 व्यक्ति घायल हुए हैं।


जंक्शन का प्रकार	दुर्घटनाओं की संख्या	मृतक	घायल
टी (T) जंक्शन	30	15	24
वाय (Y) जंक्शन	13	04	13
चतुर्भुजीय जंक्शन	40	25	27
अव्यवस्थित जंक्शन	01	0	01
घुमावदार जंक्शन	0	0	0
योग-	84	44	65



12. वर्ष 2020 में जंक्शन पर ट्रैफिक नियंत्रण के आधार पर घटित दुर्घटनाओं, मृतको एवं घायलों का विवरण :-

ट्रैफिक नियंत्रण का प्रकार	दुर्घटनाओं की संख्या	मृतक	घायल
ट्रैफिक लाईट द्वारा नियंत्रित	8	3	5
पुलिस द्वारा नियंत्रित	24	12	21
स्टॉप संकेत द्वारा नियंत्रित	5	3	4
चमकती संकेतक/ब्लिंकर	1	2	0
अनियंत्रित	28	18	18
योग-	66	37	48


जंक्शन पर ट्रैफिक नियंत्रण के आधार पर घटित दुर्घटनाओं, मृतको एवं घायलों का विवरण



12.1 वर्ष 2021 में जंक्शन पर ट्रैफिक नियंत्रण के आधार पर घटित दुर्घटनाओं, मृतको एवं घायलों का विवरण :-

ट्रैफिक नियंत्रण का प्रकार	दुर्घटनाओं की संख्या	मृतक	घायल
ट्रैफिक लाईट द्वारा नियंत्रित	09	04	10
पुलिस द्वारा नियंत्रित	27	09	24
स्टॉप संकेत द्वारा नियंत्रित	0	0	0
चमकती संकेतक / ब्लिंकर	07	03	03
अनियंत्रित	41	28	28
योग-	84	44	65


जंक्शन पर ट्रैफिक नियंत्रण के आधार पर घटित दुर्घटनाओं, मृतको एवं घायलों का विवरण



13. वर्ष 2020 में जलवायु की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर दुर्घटनाओं, मृतको एवं घायलों का विवरण :-

राज्य में वर्ष 2020 में जलवायु की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर सर्वाधिक 767 सड़क दुर्घटनाएं धूप/साफ जलवायु में घटित हुई है जिसमें 517 व्यक्तियों की मृत्यु तथा 634 व्यक्ति घायल हुए हैं।


जलवायु अवस्था	दुर्घटनाओं की संख्या	मृतक	घायल
धूप/साफ जलवायु	767	517	634
वर्षाकाल	145	77	107
कोहरा/धुंध	58	43	61
ओला-वर्षा	18	11	13
अन्य	53	26	39
योग-	1041	674	854



13.1 वर्ष 2021 में जलवायु की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर दुर्घटनाओं, मृतको एवं घायलों का विवरण :-

राज्य में वर्ष 2021 में जलवायु की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर सर्वाधिक 1186 सड़क दुर्घटनाएं धूप/साफ जलवायु में घटित हुई है जिसमें 693 व्यक्तियों की मृत्यु तथा 936 व्यक्ति घायल हुये है।

जलवायु अवस्था	दुर्घटनाओं की संख्या	मृतक	घायल
धूप/साफ जलवायु	1186	693	936
वर्षाकाल	121	68	86
कोहरा/धुंध	56	37	36
ओला-वर्षा	01	01	06
अन्य	41	21	27
योग-	1405	820	1091




14. वर्ष 2020 में सड़क की उपयोगिता के आधार पर मृतकों एवं घायलों का विवरण :-

राज्य में वर्ष 2020 में सड़क की उपयोगिता के आधार पर घटित सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक 338 व्यक्तियों की मृत्यु दुपहिया वाहनों से हुई है जिसमें 384 व्यक्ति घायल हुए हैं।

व्यक्ति	मृतक	घायल
1-पैदल	147	153
2-साइकिल सवार	33	15
3-दोपहिया सवार	338	384
4-आटो रिक्शा	06	12
5-कार / टैक्सी / वैन	13	76
6-ट्रक / लारी	8	13
7-बस	00	29
8-अन्य मोटरयान	04	08
9-अन्य व्यक्ति	125	164
योग-	674	854

सड़क की उपयोगिता के आधार पर मृतकों एवं घायलों का विवरण




14.1 वर्ष 2021 में सड़क की उपयोगिता के आधार पर मृतकों एवं घायलों का विवरण :-

राज्य में वर्ष 2021 में सड़क की उपयोगिता के आधार पर घटित सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक 435 व्यक्तियों की मृत्यु दुपहिया वाहनों से हुई है जिसमें 492 व्यक्ति घायल हुये है।

व्यक्ति	मृतक	घायल
1-पैदल	193	231
2-साइकिल सवार	21	45
3-दोपहिया सवार	435	492
4-आटो रिक्शा	14	27
5-कार / टैक्सी / वैन	55	182
6-ट्रक / लारी	12	17
7-बस	0	07
8-अन्य मोटरयान	09	09
9-अन्य व्यक्ति	81	81
योग-	820	1091

सड़क की उपयोगिता के आधार पर मृतकों एवं घायलों का विवरण




15. वर्ष 2020 में यातायात नियमों के उल्लंघन के प्रकार के आधार पर हुयी सड़क दुर्घटनाओं का विवरण :-

राज्य में वर्ष 2020 में यातायात नियमों के उल्लंघन के आधार पर सर्वाधिक 710 सड़क दुर्घटनाएं ओवरस्पीडिंग के अभियोगों में हुई है जिसमें 450 व्यक्तियों की मृत्यु तथा 523 व्यक्ति घायल हुए हैं।

यातायात नियमों का उल्लंघन	दुर्घटनाओं की संख्या	मृतकों की संख्या	घायलों की संख्या
ओवरस्पीडिंग	710	450	523
गलत दिशा में वाहन संचालन	81	48	66
शराब पीकर वाहन संचालन	14	6	15
वाहन संचालन करते समय मोबाईल फोन का प्रयोग करना	0	0	0
रेड लाईट जम्प करना	0	0	0
अन्य	236	170	250
योग-	1041	674	854

यातायात नियमों का उल्लंघन के प्रकार के आधार दुर्घटनाओं, मृतको एवं घायलों का विवरण




15.1 वर्ष 2021 में यातायात नियमों के उल्लंघन के प्रकार के आधार पर हुयी सड़क दुर्घटनाओं का विवरण :-

राज्य में वर्ष 2021 में यातायात नियमों के उल्लंघन के आधार पर सर्वाधिक 1106 सड़क दुर्घटनाएं ओवरस्पीडिंग के अभियोगों में हुई है जिसमें 595 व्यक्तियों की मृत्यु तथा 849 व्यक्ति घायल हुए हैं।

यातायात नियमों का उल्लंघन	दुर्घटनाओं की संख्या	मृतकों की संख्या	घायलों की संख्या
ओवरस्पीडिंग	1106	595	849
गलत दिशा में वाहन संचालन	14	04	18
शराब पीकर वाहन संचालन	84	47	70
वाहन संचालन करते समय मोबाईल फोन का प्रयोग करना	0	0	0
रेड लाईट जम्प करना	01	0	01
अन्य	200	174	153
योग-	1405	820	1091

यातायात नियमों का उल्लंघन के प्रकार के आधार दुर्घटनाओं, मृतको एवं घायलों का विवरण



16. वर्ष 2020 एवं वर्ष 2021में हुयी सड़क दुर्घटनाओं का विवरण चालक के लाईसेन्सके आधार घटित दुर्घटनाओं में मृतकों एवं घायलों का विवरण:-

राज्य में वर्ष 2020 एवं 2021 में चालक लाईसेन्स के आधार पर घटित सड़क दुर्घटनाओं में वैध स्थायी लाईसेन्स प्रकार से सर्वाधिक व्यक्तियों की मृत्यु तथा घायल हुए हैं।

लाईसेन्स का प्रकार	2020		2021	
	मृतक	घायल	मृतक	घायल
वैध स्थायी लाईसेन्स	471	305	544	404
शिक्षार्थी लाईसेन्स	08	07	7	05
बिना लाईसेन्स	05	01	9	11
अज्ञात	190	541	182	194
योग-	674	854	742	614


जनपदवार वाहनों की संख्या एवं जनसंख्या

1. राज्य में वर्ष 2021 तक जनपदवार वाहनों की संख्या एवं जनसंख्या :-

जनपद का नाम	क्षेत्रफल वर्गकिमी ⁰	जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	जनसंख्या घनत्व	वाहनों की संख्या	वाहन घनत्व
अल्मोड़ा	3,144	622506	198	46539	14.80
बागेश्वर	2,241	259898	116	20343	9.08
चमोली	8,030	391605	49	24568	3.06
चम्पावत	1,766	259648	147	37950	21.49
देहरादून	3,088	1696694	549	1294457	419.19
हरिद्वार	2,360	1890422	801	582648	246.88
नैनीताल	4,251	954605	225	397170	93.43
पौड़ी	5,329	687271	129	94767	17.78
पिथौरागढ़	7,090	483439	68	54303	7.66
रुद्रप्रयाग	1,984	242285	122	18082	9.11
टिहरी	3,642	618931	170	28263	7.76
उधमसिंह नगर	2,542	1648902	649	668128	262.84
उत्तरकाशी	8,016	330086	41	17632	2.20
योग	53,483	10086292	189	3284850	61.42

2. उत्तराखण्ड राज्य में जनपदवार सड़को की लम्बाई (किमी) :-

क्र. सं.	जनपद का नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग	राज्य राजमार्ग	प्रमुख जिला मार्ग	अन्य जिला मार्ग	ग्रामीण मार्ग	योग
		(किमी में)	(किमी में)				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उत्तरकाशी	360.07	328.52	334.86	108.97	4006.79	5039.21
2	टिहरी	76.00	775.62	421.47	363.47	984.39	2620.95
3	देहरादून	250.45	528.77	203.04	316.97	1969.59	3268.82
4	हरिद्वार	23.00	213.17	154.41	106.35	1709.49	2206.42
5	चमोली	117.00	395.31	208.64	255.02	1813.54	2789.51
6	रूद्रप्रयाग	125.00	271.30	75.2	88.76	1201.27	1761.53
7	पौड़ी	128.45	853.57	839.98	335.89	2261.51	4419.40
8	पिथौरागढ़	46.50	381.09	236.82	163.62	1342.59	2170.62
9	चम्पावत	114.00	273.92	54.88	33.29	1580.02	2056.11
10	बागेश्वर	260.00	243.94	218.20	111.57	3066.99	3900.70
11	अल्मोड़ा	141.78	684.48	628.53	312.60	1254.54	3021.93
12	नैनीताल	333.89	661.87	359.58	148.50	2522.37	4026.21
13	उधमसिंह नगर	128.20	239.18	194.65	157.52	1030.84	1750.39
14	हल्का वाहन मार्ग	00.00	00.00	0.00	0.00	0.00	423.00
15	अन्य कार्यदायी संस्था (NHAI/BRO/NHIDCL/PMGSY)के अन्तर्गत मार्ग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9934.44
योग		2104.34	5850.74	3930.26	2502.53	24743.93	49389.24



3. ब्लैक स्पॉट एवं दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का चिन्हीकरण एवं सुधारीकरण :-

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित परिभाषा के अनुसार सड़क का 500 मीटर का वह भाग जहाँ विगत 03 वर्षों में 05 घातक सड़क दुर्घटनाएं हुई हों अथवा 10 व्यक्तियों की मृत्यु हुई हो, ब्लैक स्पॉट की श्रेणी में आता है।

उक्त परिभाषा के आधार पर उत्तराखण्ड राज्य में (वर्ष 2013, 2014, 2015), (वर्ष 2014, 2015, 2016), (वर्ष 2015, 2016, 2017), (वर्ष 2016, 2017, 2018), (2017, 2018, 2019), (2018, 2019, 2020) एवं (2019, 2020, 2021) में घटित सड़क दुर्घटनाओं के आधार पर राज्य में कुल 165 ब्लैक स्पॉट्स का चिन्हीकरण किया गया है और उनमें सुधार हेतु सम्बन्धित सड़क निर्माण एजेंसियों को निर्देशित किया गया है। ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त जनपदों में दुर्घटना संभावित स्थलों का चिन्हीकरण करते हुए उनके सुधारीकरण हेतु भी सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिये गये हैं।

जनपदवार चिन्हित ब्लैक स्पॉट एवं दुर्घटना संभावित स्थलों की स्थिति निम्नवत् है:-

जनपद का नाम	ब्लैक स्पॉट्स की संख्या	सुधार किये गये स्थलों की संख्या	दुर्घटना सम्भावित स्थलों की संख्या	सुधार किये गये स्थलों की संख्या
उत्तरकाशी	04	04	352	133
टिहरी	07	06	232	152
देहरादून	49	32	152	148
हरिद्वार	40	31	23	14
चमोली	2	02	86	68
रुद्रप्रयाग	0	0	91	72
पौड़ी	02	02	267	225
पिथौरागढ़	03	03	55	12
चम्पावत	01	01	62	14
बागेश्वर	0	0	146	125
अल्मोड़ा	02	02	583	350
नैनीताल	16	05	343	143
उधमसिंहनगर	39	29	141	137
योग	165	117	2533	1593

4. राज्य में सड़को को सुरक्षित बनाये जाने के उद्देश्य से रोड सेफ्टी ऑडिट कराये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है। वर्ष 2021 माह दिसम्बर तक किये गये सड़क सुरक्षा आडिट का विवरण निम्नवत् है :-

राज्य में सड़कों की कुल लम्बाई (किमी० में) ग्रामीण सड़क छोड़कर	वर्ष 2020 तक किया गया सड़क सुरक्षा ऑडिट(किमी० में)
15432.07	4591.375

दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु उठाये गये कदम

- राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक**— कलैण्डर वर्ष 2020 में मा0 परिवहन मंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक दिनांक 14 अक्टूबर, 2020 को तथा वर्ष 2021 में 27 जुलाई, 2021 को आहूत की गयी।
- अनुश्रवण समिति का गठन**—मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में राज्य सड़क सुरक्षा एवं दुर्घटना के न्यूनीकरण हेतु कलैण्डर वर्ष 2020 में अनुश्रवण समिति की बैठक दिनांक 13.03.2020 को तथा वर्ष 2021 दिनांक 03-08-2021 में आहूत की गयी।
- लीड एजेन्सी का गठन**—राज्य सड़क सुरक्षा परिषद के सचिवालय के रूप में कार्य करने हेतु शासनादेश संख्या-455/पग-1/2016/90/2016 दिनांक 26 सितम्बर, 2019 के अन्तर्गत संयुक्त परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में लीड एजेन्सी का गठन किया गया है। वर्तमान में लीड एजेन्सी में परिवहन, पुलिस, चिकित्सा एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारी तैनात किये गये हैं।
- जिला सड़क सुरक्षा समितियों का गठन**—कलैण्डर वर्ष 2020 में राज्य के विभिन्न जनपदों में जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समितियों की 63 बैठकें तथा वर्ष 2021 में 54 बैठकें आहूत की गयी।
- सड़क सुरक्षा कोष की स्थापना**—उत्तराखण्ड सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2017 के अन्तर्गत मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 10 जुलाई 2020 को कोष प्रबन्धन समिति की बैठक आहूत की गयी। उक्त निधि से कुल रूपये 19.00 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी, जिसमें परिवहन विभाग को रूपये 330.23 लाख, पुलिस विभाग को 657.50 लाख, लोक निर्माण विभाग को रूपये 762.27 लाख एवं चिकित्सा विभाग को रूपये 150.00 लाख की धनराशि सड़क सुरक्षा कार्यों हेतु आवंटित की गयी तथा वर्ष 2021 में दिनांक 30-09-2021 को कोष प्रबन्धन समिति की बैठक आहूत की गयी। उक्त निधि से कुल 15.64 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी, जिसमें से परिवहन विभाग को 485.94 लाख, पुलिस विभाग को 566.00 लाख, लोक निर्माण विभाग को 499.62 लाख शिक्षा विभाग को 12.00 लाख तथा चिकित्सा विभाग को 2.00 लाख की धनराशि सड़क सुरक्षा कार्यों हेतु आवंटित की गयी।
- वाहनों में स्पीड गर्वनर स्थापित करना**—केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के अन्तर्गत ओवरस्पीडिंग पर नियन्त्रण रखने हेतु सभी प्रकार की व्यवसायिक वाहनों (दोपहिया, तिपहिया, चौपहिया साईकिल, अग्निशामक, एम्बुलेन्स एवं पुलिस यान को छोड़कर) पर गति नियन्त्रक (Speed Limiting Device) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य में व्यवसायिक वाहनों में स्पीड गर्वनर स्थापित करने हेतु 24 कम्पनियों को अधिकृत किया गया है। वाहनों के फिटनेस परीक्षण के समय वाहन पर गति नियंत्रक उपकरण लगाया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है। दिनांक 01-10-2015 से 105316 वाहनों पर गति नियंत्रक उपकरण संयोजित किये जा चुके हैं।
- सार्वजनिक सेवायानों में वी0एल0टी0 डिवाइस स्थापित किया जाना**—केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 125 एच के अन्तर्गत दिनांक 01-01-2019 से जीपीएस की स्थापना अनिवार्य की गयी है। राज्य में लगभग 12733 वाहनों में उक्त डिवाइस की स्थापना की जा चुकी है।
- चालक प्रशिक्षण संस्थान, झांझरा**—वाहन चालकों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से लगभग 4 हैक्टर भूमि पर देहरादून में झांझरा नामक स्थान पर एक वृहद चालक प्रशिक्षण संस्थान (आईडीटीआर) की स्थापना की गयी है। वर्तमान में संस्थान का संचालन परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड एवं मैसर्स मारुति सुजुकी इण्डिया लि0 की संयुक्त सोसायटी द्वारा किया जा रहा है। चालक लाइसेन्स जारी करने सम्बन्धी कार्य में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु मैसर्स माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से HAMS सॉफ्टवेयर तैयार करते हुये चालकों की परीक्षा ऑटोमेटिड ड्राइविंग टैस्ट ट्रेक पर प्रारम्भ की गयी है। उक्त व्यवस्था से चालकों की परीक्षा में मानवीय हस्तक्षेप समाप्त हो गया है।

9. प्रवर्तन की कार्यवाही (पुलिस एवं परिवहन विभाग) :-

वर्ष 2020 एवं वर्ष 2021 में सड़क दुर्घटना से सम्बन्धित अभियोगों में की गयी प्रवर्तन की कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है:-

सड़क सुरक्षा के अभियोग	2020		2021	
	चालान	संस्तुति	चालान	संस्तुति
रेड लाईट जम्पिंग करना	637	204	1207	251
निर्धारित गतिसीमा से अधिक गति से वाहन चलाना	14065	5527	24805	15102
भार वाहनों में क्षमता से अधिक भार ले जाना	10372	3008	8745	3240
भार वाहनों में यात्री ले जाना	1439	813	1871	1385
वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग	8630	4712	10206	6387
नशे की हालत में वाहन चलाना	2145	746	1800	652
कुलयोग-	37288	15010	48634	27017

10. वर्ष 2020 एवं 2021 में बिना हैल्मेट/सीट बेल्ट के अभियोग में निम्नवत् प्रवर्तन की कार्यवाही की गयी :-

अभियोग	2020		2021	
	चालान	काउंसलिंग	चालान	काउंसलिंग
चालक/सवारी द्वारा हैल्मेट न पहनना	63511	16931	62766	18367
सीट बेल्ट का प्रयोग न करना	12855	9649	16048	9554
कुलयोग-	76366	26580	78814	27921

11. जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन :-

सामान्य जनमानस को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने की दृष्टि से समय-समय पर विभिन्न स्कूलों में सड़क सुरक्षा कार्यक्रम आयोजित कराये गये। इसके अतिरिक्त विभिन्न मोटर यूनियनों के अन्तर्गत चालकों हेतु स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, रैली, कार्यशाला आदि का आयोजन किया गया।

12. "उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि" का गठन-

- (1) "उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम 2003" की धारा-8 के अन्तर्गत सार्वजनिक सेवायानों से सम्बन्धित यात्रियों की दुर्घटना की स्थिति में मृतक आश्रित एवं घायलों को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु "उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि" का गठन किया गया है।
- (2) किसी सार्वजनिक सेवायान की दुर्घटना होने पर प्रभावित व्यक्तियों को मृत्यु की दशा में रूपये 1,00,000.00 गंभीर रूप से घायल होने पर रूपये 40,000.00 एवं साधारण घायल होने पर रूपये 10,000.00 की आर्थिक सहायता उक्त निधि से उपलब्ध करायी जाती है।
- (3) उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2011 के अन्तर्गत सार्वजनिक सेवायान से होने वाली दुर्घटना में मृतक/घायलों को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु प्रदेश के जिलाधिकारियों को वर्ष 2020-21 में रूपये 43,03,991.00 एवं 2021-22 में रूपये 58,83,402.00 की धनराशि आवंटित की गयी है।

13. उत्तराखण्ड राज्य में संचालित एम्बुलेन्स वाहनों का विवरण :-

विभागीय एम्बुलेन्सों की संख्या	108 के अन्तर्गत संचालित एम्बुलेन्सों की संख्या	108 के अन्तर्गत संचालित बोट एम्बुलेन्स
258	272	01

14. राज्य में वर्ष 2021 तक स्थापित किये गये ट्रॉमा सेन्टर का जनपदवार विवरण :-

जनपद	ट्रॉमा सेन्टरों की संख्या	ट्रॉमा सेन्टर का नाम
देहरादून	03	दून चिकित्सालय, देहरादून
		एस0पी0एस0 चिकित्सालय ऋषिकेश
		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र विकासनगर
चमोली	02	जिला चिकित्सालय गोपेश्वर
		उपजिला चिकित्सालय, कर्णप्रयाग
उत्तरकाशी	01	जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी
हरिद्वार	01	संयुक्त चिकित्सालय रुड़की
उधमसिंह नगर	01	एल0डी0 भट्टसंयुक्त चिकित्सालय, काशीपुर
अल्मोड़ा	02	गोविन्द सिंह माहरा राजकीय चिकित्सालय, अल्मोड़ा।
		उपजिला चिकित्सालय, रानीखेत
बागेश्वर	01	जिला चिकित्सालय बागेश्वर
चम्पावत	02	उपजिला चिकित्सालय, टनकपुर
		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लोहाघाट
पौड़ी	02	बेस चिकित्सालय कोटद्वार
		बेस चिकित्सालय, श्रीनगर
टिहरी	01	काण्डीसौड
पिथौरागढ़	01	बी0डी0 पाण्डे चिकित्सालय, पिथौरागढ़
रुद्रप्रयाग	01	जिला चिकित्सालय, रुद्रप्रयाग
योग	18	---

भविष्य की योजनाएं

1. हल्द्वानी में वृहद चालक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण :-

विगत वर्षों में घटित सड़क दुर्घटनाओं में चालकों की अदक्षता, लापरवाही एवं तीव्र गति से वाहन चलाने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या 60 प्रतिशत से अधिक है। अतः वाहन चालकों को उच्च गुणवत्ता का प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु देहरादून की भांति कुमाऊँ मण्डल के हल्द्वानी नगर में भी एक वृहद चालक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुये सीआईआरटी पुणे को परामर्शी नियुक्त किया गया है। इस कार्य हेतु उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम हल्द्वानी को कार्यदायी संस्था बनाया गया है। जिसके द्वारा संशोधित डीपीआर भारत सरकार को प्रेषित कर दी गयी है।

2. चालकों की परीक्षा हेतु ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक्स की स्थापना :-

राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् द्वारा 10 कार्यालयों (देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, ऋषिकेश, ऊधमसिंहनगर, काशीपुर, रुड़की, विकासनगर, कोटद्वार एवं अल्मोड़ा) पर ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक्स के निर्माण के निर्देश दिए गए हैं। इस हेतु हरिद्वार, हल्द्वानी, टिहरी में भूमि उपलब्ध हो गयी है, जबकि हरिद्वार, हल्द्वानी एवं ऋषिकेश में भूमि उपलब्ध हो चुकी है। हरिद्वार में ट्रैक्स निर्माण हेतु रुपये 75.98 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था को 30.39 लाख की धनराशि उपलब्ध करा दी गयी है।

3. वाहनों की फिटनेस हेतु आटोमेटेड टेस्टिंग लेन की स्थापना :-

राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् द्वारा 06 स्थानों (देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, ऋषिकेश, अल्मोड़ा एवं कोटद्वार) में ऑटोमेटेड टेस्टिंग लेन की स्थापना का निर्णय लिया गया है। प्रथम चरण में इस हेतु हल्द्वानी एवं हरिद्वार में भूमि उपलब्ध हो गयी है।

राज्य में हल्द्वानी एवं हरिद्वार में भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत ऑटोमेटेड टेस्टिंग लेन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु हल्द्वानी एवं हरिद्वार के लिये रुपये 10.28 ग 2 कुल रुपये 20.56 करोड़ का प्रस्ताव सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया गया था। जिसकी स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा किसी स्थान पर उक्त लेन के निर्माण हेतु अधिकतम रूपयें 16.50 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की जा सकती है। इसके इतर यदि अतिरिक्त धनराशि का व्यय होता है तो वह राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में ऑटोमेटेड टेस्टिंग लेन की स्थापना हेतु रुपये 406.00 लाख की धनराशि प्राविधानित है।

4. प्रवर्तन दलों का सुदृढीकरण एवं सड़क सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था :-

(क) राज्य में प्रवर्तन व्यवस्था के सुदृढीकरण हेतु परिवहन विभाग का पुर्नगठन किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

(ख) पुलिस विभाग द्वारा राज्य में 10 जनपदों (पिथौरागढ़, चम्पावत, बागेश्वर के अतिरिक्त) में 17 इन्टरसेप्टर वाहनों को राष्ट्रीय तथा राज्य राजमार्गों पर पैट्रोलिंग हेतु तैनात किया गया है। इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस में सृजन हेतु प्रस्तावित 304 पदों हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है।

(ग) परिवहन विभाग द्वारा राज्य सड़क सुरक्षा कोष से आवंटित धनराशि से 08 इन्टरसेप्टर वाहनों का क्रय

किया गया था, जिनका प्रयोग वर्तमान में जनपद देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, पौड़ी, अल्मोड़ा एवं नैनीताल में प्रवर्तन कार्यों हेतु किया जा रहा है।

- (घ) पुलिस विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा कोष से स्वीकृत धनराशि से 34 हाईवे पैट्रोलिंग कार, 50 सिटी पैट्रोलिंग बुलेट तथा 08 इन्टरसेप्टर वाहनों क्रय किया जाना प्रस्तावित है। इन वाहनों का प्रयोग राज्य एवं राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रवर्तन कार्यों हेतु किया जायेगा।

5. "सड़क सुरक्षा—एक पहल पुस्तिका" का प्रकाशन :—

परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा विद्यालयों में कक्षा 3 से 12 तक के स्कूली छात्र—छात्राओं में सड़क सुरक्षा सम्बन्धी जागरूकता एवं सुरक्षा नियमों का अनुपालन कराये जाने के उद्देश्य से "सड़क सुरक्षा एक पहल पुस्तिका" का प्रकाशन करते हुये विद्यालयों को उपलब्ध करायी गयी है।

6. ब्लैक स्पॉट का सुधारीकरण :—

राज्य में अध्यतन चिन्हित 165 ब्लैक स्पॉट के सुधारीकरण की कार्यवाही गतिमान है। वर्ष 2022 तक चिन्हित सभी ब्लैक स्पॉट के सुधारीकरण हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाए प्रयासरत है।



परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड

कार्यालय परिवहन आयुक्त, कुल्हान सहस्रधारा रोड, देहरादून

Website : transport.uk.gov.in